जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 14-07-2021**

आज दिनांक 14.07.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

चोरी की मोटरसाइकिल के साथ वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 197 / 2021 धारा 379 भादवि में वांछित अभियुक्त नाम पता दीपू कुमार पासवान पुत्र स्व0 राम किशुन पासवान निवासी तुलसीपुर थाना मेहदावल जनपद संतकबीरनगर को सोनोरा मोड़ के पास से चोरी के मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी श्री उमेश जयसवाल पुत्र रामसेवक जयसवाल निवासी पुरन्दरपुर थाना पुरन्दरपुर जनपद महराज गंज की मोटर साइकिल उसके गांव के मेहदी हसन पुत्र गफ्फार अली द्वारा दिनांक 06.07.2021 को मांगकर अपने रिश्तेदारी ग्राम कमहरिया थाना बखिरा लेकर कर आये थे तथा सोनौरा मोड़ के पास गाड़ी खड़ी कर अपने किसी परिचित से बात कर रहे कि वहीं पर खड़ी मोटर साइकिल गायब हो गयी थी। काफी खोजबीन करने पर जब मोटर साइकिल न मिली तो कल दिनांक 13.07.2021 को वादी उमेश जयसवाल द्वारा लिखित तहरीर देकर थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री उदय शंकर द्विवेदी द्वारा की जा रही थी। आज दिनांक को जरिए मुखबिर की सूचना पर बखिरा पुलिस द्वारा उक्त घटना में वांछित अभियुक्त को चोरी की मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में बताया गया कि यह मोटर साइकिल मैं दिनांक 06.07.2021 को सोनौरा मोड़ से चुराया था जिसका नंबर प्लेट मैने बदल दिया है। बरामदगी व फर्जी नंबर प्लेट के आधार पर धारा 411 / 420 भादवि बढ़ोत्तरी करते हुए उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री उदय शंकर तिवारी, उ0नि0 रविप्रकाश तिवारी, हे0कां0 सुशील कुमार यादव, कां0 जितेन्द्रर शाह।

आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त नाम पता वसीवुल्लाह पुत्र मो0 नजीर निवासी ग्राम करमांखास थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को फरजा मोड़

के पास से गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 215 / 2021 धारा 4 / 25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री राम प्रवेश यादव, उ0नि0 श्री हसमत अली, हे0कां0 रामदरश यादव, हे0कां0 मोतीलाल यादव, कां0 विपिन विशेन, म0कां0 शिवानी सिंह।

10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्ता गिरफ्तार

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 ली0 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्ता नाम फूलमती देवी पत्नी गोपी चन्द निवासी भेडौरा पिकौरा टोला बिचला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 113 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- हे0कां0प्रो0 फूल बदन द्विवेदी, हे0कां0 रवि शंकर श्रीवास्तव, हे0कां0 राजेश चौरसिया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 08 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना मेहदावल पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- **थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 75 वाहनो से 66500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 14.07.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 75 वाहनो से 66500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।